न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 441/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
रामदीन पुत्र डुंगरराम जाति जाट निवासी सिली तहसील ओसियां हाल बावडी जिला जोधपुर		1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां जिला जोधपुर 2– मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.ड्ब्लु.डी.चौराहा, यू.आई.टी. ऑफिस के पास, जोधपुर 3– सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, ओसियां जिला जोधपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–7–2013 जो न्यायालय अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 12/2009 अनवान रामदीन बनाम सरकार मे पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री आर.पी.चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 4–9–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम गिगाला मे अपीलांट के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 147/1 रकबा 71 बीघा 09 बिस्वा भूमि आई हुई है । नायब तहसीलदार ओसियां ने अपीलांट के खातेदारी कब्जे काश्त की उक्त 71.09 बीघा भूमि मे से 4.13 बीघा भूमि का सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम बिना आदेश के म्युटेशन संख्या 157 गलत तरीके से स्वीकृत कर दिया, उक्त म्युटेशन संख्या 157 को निरस्त करवाने बाबत अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज कर दिया, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा अपनी बहस के दौरान अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 157 मौजा गिगाला की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाया तथा कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन के कॉलम संख्या 14 मे माफिक आदेश तहसीलदारके दिनांक अंकित नही है । अपीलाधीन खसरा नंबर 147/1 मे से 4.13 बीघा भूमि गै.मु.सडक के नाम

अमल दरामद की गई है, उक्त म्युटेशन मे पटवारी के हस्ताक्षर के नीचे तारीख नही है तथा नायब तहसीलदार ओसियां के स्वीकृति आदेश के नीचे भी तारीख अंकित नही की गई है । उक्त म्युटेशन पर निरीक्षक भू अभिलेख की टिप्पणी नही है, कौनसे आदेश से म्युटेशन स्वीकृत हुआ है, आदेश की प्रति नही है । अपीलाधीन म्युटेशन मे उक्त समस्त कमियो के बावजुद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को केवल मयाद के बिन्दु पर खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश करने मे हुए विलंब को क्षमा करने बाबत अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था तथा ऐसी विलंब से प्रस्तुत अपीलो मे मयाद के बिन्दु को कण्डोन करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय मे निर्णय नजीरे पेश की थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नजीरो को देखे बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट के खातेदारी की भूमि मे से 4.13 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज करने की न तो अपीलांट को सूचना दी और न ही सुनवाई का मौका दिया । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि सडक भी अपीलांट के खातेदारी खेत मे से नही निकलती है बल्कि पडौसी खेत से निकलती है परंतु इस तथ्य पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 157 विधिविरूद्ध स्वीकृत किया था, उसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रथम अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने मे विधिक भूल की है ।

वकील अपीलांट ने इस संबंध मे आर.आर.डी. 1994 पेज 604, आर.आर.डी. 1994 पेज 606 तथा आर.आर.टी.2002 वोल्यु. 1 पेज 257 की निर्णय नजीरो के उद्धरण पेश किये जिनमे यह अभिनिर्धारिण किया गया है कि शून्य आदेशो पर मयाद लागू नही होती है प्रथम बार जानकारी एवं ज्ञान से मयाद का बिन्दु लागू होता है । परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इन निर्णय नजीरो को नजर अंदाज करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने आर.आर.डी. पेज 511 की निर्णय नजीर का उद्धरण प्रस्तुत किया जिसमे मयाद के बिन्दु के आधार पर प्रार्थी को न्याय से वंचित नही रखा जा सकता है । वकील अपीलांट ने ए.आई.आर. 1987 पेज 1353 (एस.सी.) की निर्णय नजीर का उद्धरण प्रस्तुत किया जिसमे न्यायालय को मयाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाना चाहिये ।

वकील अपीलांट ने डी.एन.जे.2003 वोल्यु.3 राज0पेज 1090 की निर्णय नजीर का उद्धरण प्रस्तुत किया जिसमे अधिकारो से वंचित करने के लिए देरी का कारण विषय वस्तु नही है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि शुरू से ही वॉइड आदेश जो बिना मुआवजा दिये, बिना किसी आदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम भरे गये नामांतरकरण को खारीज करने का निवेदन किया तथा अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय, अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–7–2013 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 157 का अमल दरामद जमाबंदी संवत 2036 से 2039 मे किया जा चुका था हउक्त म्युटेशन के विरूद्ध अत्यधिक विलंब से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त द्वितीय अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने वकील पक्षकारान की बहस पर अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का भी अवलोकन किया तथा वकील अपीलांट ने बहस के दौरान एवं अपील मीमो मे वर्णित निर्णय नजीरो के उद्धरण पर विचार किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 157 जिसका कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2036–2039 मे ही अमल दरामद हो चुका था उसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2009 मे प्रथम अपील पेश की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को 30 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत होना मानते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–7–2013 मे विलंब को क्षमा करने के कारणो को बनावटी एवं मनघडंत मानते हुए अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज की जाने पर इस न्यायालय मे अपीलांट ने यह द्वितीय अपील पेश की है।

अपीलांट की इस द्वितीय अपील मे भी अपीलाधीन म्युटेशन मे पटवारी के हस्ताक्षर के नीचे तारीख नही होना, तहसीलदार के स्वीकृति आदेश पर दिनांक नही होना, म्युटेशन पर निरीक्षक भू अभिलेख की टिप्पणी नही होना, किस आदेश से म्युटेशन भरा गया है, आदेश की प्रति नही होते हुए उक्त म्युटेशन संख्या 157 को त्रुटिपूर्ण होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मयाद के बिन्दु पर विधिविरूद्ध खारीज करने के तथ्यो के साथ पेश की है ।

इस संबंध मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जैसाकि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–7–2013 मे उल्लेख किया गया है कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 157 जिसका राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2036–39 मे ही अमल दरामद हो चुका था, तथा राजस्व रेकर्ड मे तब से लगातार रास्ता दर्ज चला आ

रहा है जिसे लगभग 35 वर्ष के विलंब से इस म्युटेशन अपील के जरिये भूमि की किस्म गै.मु.रास्ते से खातेदारी मे दर्ज करना संभव नही है । म्युटेशन की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है जिसके द्वारा पक्षकारो के हक अधिकारो का निर्धारण संभव नही है । पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज भी उपलब्ध नही है जो अपीलांट के तथ्यो को ठोस आधार प्रदान करते हो ।

अपीलांट का यह कथन कि अपीलांट के खातेदारी के खेत खसरा नंबर 147/1 मे से मौके पर सडक नही चल रही है, पडौसी खातेदार के खेत व सरकारी भूमि मे सडक चल रही है, तो यह साक्ष्य का बिन्दु है जो नियमित वाद की कार्यवाही मे साक्ष्य एवं गवाहान के बयान आदि से तय किया जा सकता है । अपीलांट यदि अपीलाधीन म्युटेशन मे वर्णित गै.मु.सडक की भूमि पर अपना हक अधिकार होना तथा अपने खातेदारी की भूमि मे से सडक नही निकलना बताते है तो इसके लिए नियमित वाद सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत कर अपने अधिकारो की घोषणा करवाने हेतु स्वतंत्र है ।

उपरोक्त परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–7–2013 को पारित किया है, उसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 4–9–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर